



सत्यमेव जयते

कार्यालय

आयकर आयुक्त (छूट)

यू.पी. स्टेट कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०,
टी.सी.-46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

द्रस्ट/संस्थान का नाम : राजेन्द्रराय सेवा द्रस्ट
पता- : गाँव-नुआँव, पोस्ट-नैपुरा, जिला-वाराणसी (उ०प्र०)
पैन : AACTR3540A
आदेश तिथि : 02.02.2017

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी)(i) के अन्तर्गत आदेश

द्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2014 को सृजित/स्थापित उपरोक्त द्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/संस्थान, जोकि दिनांक 30.01.2014 को पंजीकरण सं. 10 द्वारा धर्मार्थकार्य (चैरिटी) आयुक्त/ऐश्वर्येशेज रजिस्ट्रार/सोसाइटी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत की गई थी, उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(1)(ए) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म सं. 10 ए में दिनांक 22.08.2016 को आवेदन किया था। अभिलेखों में प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा दिनांक 01.04.2016 की प्रभावी तिथि से अधोहस्ताक्षरी द्वारा द्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/संस्थान को पंजीकृत किया जाता है।

2. द्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/संस्थान के नाम जो कि सामान्य लोकोपयोगी कार्यों के लिए स्थापित की गई हैं, उसका नाम विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) 453/2058/2016-17 के साथ इस कार्यालय के द्रस्ट/संस्थान रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है।

3. अधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना द्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा।

4. यह प्रमाण-पत्र, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के तथ्यों को केवल प्रमाणित करता है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11, 12 एवं 13 के प्रयोग के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत स्वत्व अथवा अधिकार, जिसका निर्णय गुणवत्ता के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना है, प्रदान नहीं करता।



5. निर्धारण वर्ष 2016-17 के बाद से इस ट्रस्ट/संस्थान का निर्धारण आयकर आयुक्त/आयकर उप आयुक्त/आयकर सहायक आयुक्त/आयकर अधिकारी द्वारा किया जाना है।
6. संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।
7. संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।
8. यह आदेश व्यापार के उद्भूत किसी लाभ पर लागू नहीं होगा, यह सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेखा बहियां अलग से रखी जाए।
9. संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
10. संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
11. संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विरिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।
12. ट्रस्ट/संस्थान द्वारा बैंक खाता किसी ट्रस्ट/संस्थान/निदेशक के नाम पर न खोल कर छूट प्राप्त संस्था के नाम पर ही खोला अथवा बैंक खाते का संचालन किया जायेगा।
13. धारा 12एए(3)की शर्तों के अनुरूप, यदि यह पाया गया कि ट्रस्ट/संस्थान की गतिविधियाँ उचित नहीं हैं अथवा ट्रस्ट/संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं चलाई जा रही हैं तो इस आदेश द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।

(पी.के. बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।



फा.सं.आ.आ.(छूट)/ लखनऊ/ 12ए/ 2016-17/ 9729

दिनांक : 02.02.2017


प्रतिलिपि प्रेषित

1. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त(छूट), रेंज लखनऊ।

2. आयकर उप/सहायक आयुक्त(छूट), सर्किल लखनऊ।

3. आयकर अधिकारी (छूट), वाराणसी को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास को धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं, यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो इसे कर मुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12ए(3) के अन्तर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4. आवेदक।


(जसवंत सिंह)

आयकर अधिकारी (मु),
कृते आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।

